न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 87/2019 राजस्व अपील

1. मानसिंह पुत्र श्योचन्दा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भालपुर तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक वन संरक्षक दौसा निर्णय दिनांक 19.09.2019 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मानसिंह, प्रकरण सं. 87/2017 वन भूमि खसरा नं. 332

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैराकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 12.02.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी सिकराय ने न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के यहां एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि अपीलान्ट मानसिंह ने वनखण्ड नाहर खोर्रा सं. 11 ए ग्राम भालपुर खसरा नं. 332 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा तथा खेती कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा द्वारा भूमि खसरा नं. 332 वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दो माह का सिविल कारावास एवं 1100/— शास्ति आरोपित करने का निर्णय दिनांक 19.09.2019 को पारित कर दिया। सहायक वन संरक्षक दौसा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अपीलान्ट का वन क्षेत्र पर कब्जा या अतिक्रमण होने की जो रिपोर्ट की है, वह आधारहीन व बिना नाप जोख के की है। अपीलान्ट ने किसी भी वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है न ही काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने भूमि पर किस चीज की फसल बोकर काश्त की है। सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया। अपीलान्ट ने

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक वन संरक्षक दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलान्ट का वन भूमि खसरा नम्बर 332 पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है बल्कि अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 331 पर काबिज है। वन विभाग की भूमि के लगती हुई ही प्रार्थी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 331 स्थित है। वर्तमान में अपीलान्ट का किसी भी प्रकार से वन भूमि पर कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाने एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा का निर्णय दिनांक 19.09.2019 निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट मानसिंह पुत्र श्योचन्द जाति गुर्जर ने सम्वत 2074 में ग्राम भालपुर की वन भूमि खसरा नम्बर 332 में 80X10 मी. भूमि पर गेहू की फसल बुवाई कर तथा पुख्ता मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त कब्जा 10 वर्ष पूर्व से है। न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा ने अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से दिनांक 19.09.2019 को बेदखल कर दो माह (60 दिन) के सिविल कारावास की सजा से एवं 1100 रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर न्यायालय सहायक वन संरक्षक दौसा के निर्णय दिनांक 19.09.2019 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने संवत 2074 में ग्राम भालपुर की वन भूमि खसरा नम्बर 332 में 80X10 मी. भूमि पर गेहूं की फसल बुवाई कर तथा पुख्ता मकान निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 19.09.2019 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 87/2017 उनवानी सरकार बनाम मानसिंह में अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official